



प्रिय,

डा० राकेश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ०प्र० प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2019

विषय - वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक-2058 में प्रथम अनुपूरक बजट (2019-20) से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26/बजट दिनांक 19-08-2019 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1/2019/433/77-2-19-3(बजट)/2017 दिनांक 04 अप्रैल, 2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2058-मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व लेखा) के निम्नलिखित मदों में प्रथम अनुपूरक बजट से प्राविधानित अतिरिक्त धनराशि ₹0 1,53,10,000/- (₹0 एक करोड़ तिरपन लाख दस हजार मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक	निर्गत धनराशि
अनुदान संख्या-8	
लेखाशीर्षक-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	
001- निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान (मुख्यालय)	
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.28
103- सरकारी मुद्रणालय	
03- राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज	
08- कार्यालय व्यय	15.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50
49- चिकित्सा व्यय	60.00
04- राजकीय मुद्रणालय लखनऊ	
49 - चिकित्सा व्यय	50.00
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.32
104- अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	
03- अन्य साधनों से छपाई	
42- अन्य व्यय	20.00
योग	153.10

(रूपये एक करोड़ तिरपन लाख दस हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि केवल स्वीकृत प्रयोजन/चालू कार्यों पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि किसी कारणवश कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे समयान्तर्गत शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-574/दस-2019 दिनांक 02-09-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- 6- धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

भवदीय,

(डा० राकेश वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2019/987(1)/77-2-2019 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज/लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज।
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।